



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
राजस्व वाद संख्या 13/2018  
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल में  
जारी हुए

पत्रावली मूल वाद के साथ प्रस्तुत हुई। मूल वाद वादीगण द्वारा नोट प्रेस किये जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो गया है। प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलक्टर (मु०)  
अजमेर

मु०  
अजमेर  
शाम का नया  
Identified  
by me  
  
29/06/2018